रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 10, 2014/फाल्गुन 19, 1935
No. 122] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 10, 2014/PHALGUNA 19, 1935

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2014

सा.का.नि. 174(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1963 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 7, नियम 7क और नियम 7ख का लोप किया जाएगा और नियम 7ग को नियम 7 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा ।

3. मूल नियमों के नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"9. वेतन और भत्ते :--

(1) (क) अध्यक्ष, 80,000/-रु0 प्रतिमास (नियत) के शीर्ष वेतनमान में होगा ;

(ख) ज्येष्ठ उपाध्यक्ष, 80,000/-रु0 प्रतिमास (नियत) के शीर्ष वेतनमान में होगा ;

(ग) उपाध्यक्ष, उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड + 75,500/-रु0 (वार्षिक वेतन वृद्धि 3% की दर से) - 80,000/-रु0 प्रतिमास के वेतनमान में होगा ; और

(घ) सदस्य, उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड + 75,500/-रु0 (वार्षिक वेतन वृद्धि 3% की दर से) - 80,000/-रु0 प्रतिमास के वेतनमान में होगा ।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेतनमान के अतिरिक्त अध्यक्ष, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य ऐसे भत्तों और अन्य फायदों के हकदार होंगे जो यथोचित वर्ग के केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को और समय-समय पर प्रवृत्त ऐसे भत्तों और फायदों की मंजूरी को शासित करने वाले केंद्रीय सरकार के नियमों और आदेशों में अधिकथित शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञेय हैं ।

(3) जहां किसी उच्च न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह उसी दर से मासिक वेतन पाने का हकदार होगा जो उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अनुज्ञेय है :

परंतु जहां उच्च न्यायालय के किसी निवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसको मिले या मिलने वाले मासिक वेतन में से पेंशन की कुल रकम या अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान या किसी अन्य रूप में निवृत्ति फायदा, यदि कोई हो, को घटा दिया जाएगा ।

(4) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त उच्च न्यायालय का सेवारत या निवृत्त न्यायाधीश, ऐसे भत्तों और अन्य फायदों का हकदार होगा जो मुम्बई उच्च न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं ।

[फा. सं. ए-12018(1)/02/2013-प्रशा.III (वि.का.)]

डी. भारद्वाज, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1265, तारीख 19 जुलाई, 1963 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:--

1. सा.का.नि. 1864, तारीख 16 दिसम्बर, 1965
2. सा.का.नि. 4, तारीख 26 दिसम्बर, 1972
3. सा.का.नि. 576, तारीख 23 नवम्बर, 1981
4. सा.का.नि. 905, तारीख 16 सितम्बर, 1981
5. सा.का.नि. 214, तारीख 12 जनवरी, 1981
6. सा.का.नि. 765, तारीख 24 मई, 1984
7. सा.का.नि. 36, तारीख 29 नवम्बर, 1985
8. सा.का.नि. 1265, तारीख 6 फरवरी, 1986
9. सा.का.नि. 1003(अ), तारीख 4 अगस्त, 1986
10. सा.का.नि. 1338(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1986
11. सा.का.नि. 912(अ), तारीख 8 सितम्बर, 1988
12. सा.का.नि. 454(अ), तारीख 24 जून, 1999
13. सा.का.नि. 786(अ), तारीख 26 नवम्बर, 1999
14. सा.का.नि. 926(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2003

15. सा.का.नि. 283(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2004

16. सा.का.नि. 742(अ), तारीख 23 दिसम्बर, 2005

17. सा.का.नि. 753(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2005 और

18. सा.का.नि. 389(अ), तारीख 3 जून, 2009

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2014

G.S.R. 174(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963 (hereinafter referred to as the principal rules), rules 7, 7A and 7B shall be omitted and rule 7C shall be renumbered as rule 7.

3. In the principal rules, for rule 9, the following rule shall be substituted, namely:—

"9. Pay and Allowances :—

(1) (a) the President shall be in the Apex Scale of Rs. 80000/- per month (fixed);
(b) the Senior Vice-President shall be in the Apex Scale of Rs. 80000/-, per month (fixed);
(c) the Vice-President shall be in the Higher Administrative Grade plus Scale of Rs. 75500/- (annual increment @ 3%) - Rs. 80000/-, per month; and
(d) Member shall be in the Higher Administrative Grade plus Scale of Rs. 75500/- (annual increment @ 3%) - Rs. 80000/-, per month.

(2) In addition to the pay scale specified in sub-rule (1), the President, the Senior Vice-President, the Vice-President and the member shall be entitled to such allowances and other benefits as are admissible to the Central Government officers of the appropriate category and subject to the conditions laid down in rules and orders of the Central Government governing the grant of such allowances and benefits in force from time to time.

(3) Where a serving Judge of a High Court is appointed as the President, he shall be entitled to a monthly salary at the same rate as is admissible to a Judge of the High Court:

Provided that where a retired Judge of the High Court is appointed as the President, his monthly salary shall be reduced by the gross amount of pension or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefit, if any, drawn or to be drawn by him.

(4) A sitting or retired Judge of the High Court appointed as the President shall be entitled to such allowances and other benefits as are admissible to a sitting Judge of the High Court of Bombay.

[F. No. A-12018(1)/02/2013-Admn. III (LA)]

D. BHARDWAJ, Jt. Secy. & Legal Adviser

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R. 1265, dated the 19th July, 1963 and subsequently amended vide the following :—

1. G.S.R. 1864, dated the 16th December, 1965
2. G.S.R. 4, dated the 26th December, 1972
3. G.S.R. 576, dated the 23rd November, 1981
4. G.S.R. 905, dated the 16th September, 1981
5. G.S.R. 214, dated the 12th January, 1981
6. G.S.R. 765, dated the 24th May, 1984
7. G.S.R. 36, dated the 29th November, 1985
8. G.S.R. 1265, dated the 6th February, 1986
9. G.S.R. 1003(E), dated the 4th August, 1986
10. G.S.R. 1338(E), dated the 29th December, 1986
11. G.S.R. 912(E), dated the 8th September, 1988
12. G.S.R. 454(E), dated the 24th June, 1999
13. G.S.R. 786(E), dated the 26th November, 1999
14. G.S.R. 926(E), dated the 5th December, 2003
15. G.S.R. 283(E), dated the 26th April, 2004
16. G.S.R. 742(E), dated the 23rd December, 2005
17. G.S.R. 753(E, dated the 29th December, 2005 and
18. G.S.R. 389(E), dated the 3rd June, 2009

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Co ntroller of Publications, Delhi-110054.